

आयकर संदर्भ

न्यायधीश डी. के. महाजन और न्यायधीश गोपाल सिंह के समक्ष

रमनलाल खन्ना, आवेदक

बनाम

आयकर आयुक्त, प्रतिवादी।

1970 का आयकर संदर्भ संख्या 17.

24 फरवरी, 1971।

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII)- धारा 45 और 47 (ii)- एक साझेदारी फर्म का विघटन- ऐसी फर्म का भागीदार अपने हिस्से का मूल्य नकद में प्राप्त करता है और प्रजातियों में नहीं - ऐसी रसीद - क्या इस पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जा सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि साझेदारी फर्म के विघटन में सामान्य प्रक्रिया यह है कि एक भागीदार फर्म की संपत्ति लेता है और दूसरे को निवर्तमान साझेदारों के हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही कुल संपत्ति का मूल्य चुकाता है। कभी-कभी साझेदारी की संपत्तियों को प्रजातियों में विभाजित करना बहुत अव्यावहारिक होता है। जब साझेदारी के विघटन पर साझेदारों के बीच यह सहमति होती है कि एक निवर्तमान साझेदार को फर्म की परिसंपत्तियों में अपने हिस्से का मूल्य प्राप्त होगा, तो इस समझौते के परिणामस्वरूप उसे फर्म की परिसंपत्तियों में केवल एक वितरित हिस्सा ही प्राप्त होता है। ऐसे मामले में पूंजीगत लाभ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47 (2), ऐसे लाभ को अधिनियम की धारा 45 के दायरे से बाहर रखती है। वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में फर्म की परिसंपत्तियों के निवर्तमान साझेदारों द्वारा साझेदारी व्यवसाय को जारी रखने वाले साझेदार को कोई बिक्री नहीं होती है। यह साझेदारी की परिसंपत्तियों को विभाजित करने का एक सुविधाजनक तरीका मात्र है। इसलिए जब किसी साझेदारी फर्म के विघटन पर, भागीदारों में से एक को अपने हिस्से का मूल्य नकद में मिलता है, न कि किसी विशेष शेष में, तो ऐसी रसीद पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है। (पैरा 3).

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच सी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत इस न्यायालय को संदर्भ दिया गया, - अपने आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 1970 के माध्यम से, आर.ए 1969-70 का क्रमांक 1: में निर्धारण वर्ष 1965-66 के संबंध में आई.टी.ए 1967-68 का क्रमांक 12851: में उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए। से लिए:-

“क्या तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों पर और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उचित व्याख्या पर ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में 30,000 रुपये की राशि पर सही ढंग से कर लगाया जा सकता है?

जे. एन. के. कौशल, वरिष्ठ वकील और ए शोक भान, वकील,

आवेदक के लिए।

डी. एन. ए वास्थी और बी. एस. जी गुप्ता, प्रतिवादी की वकालत करते हैं।

### निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया: -

न्यायधीश महाजन.- निर्धारिती के कहने पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली बेंच 'सी' ने हमारी राय के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया: -

“क्या तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में और आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 47 की उचित व्याख्या पर, ट्रिब्यूनल का मानना सही था कि राशि रु. 30,000 पर निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में सही ढंग से कर लगाया जा सकता है?”।

इस संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अनुरूप मूल्यांकन वर्ष 1965-66 से संबंधित है। करदाता रमनलाल खन्ना हैं। वह एम/एस कोहिनूर टेक्सटाइल प्रिंटिंग वर्क्स, बॉम्बे में भागीदार था। इस साझेदारी में तीन अन्य भागीदार ब्रिज लाई खन्ना, शरद चंद खन्ना और लाजपत राय मेहरा थे। यह साझेदारी 1 अक्टूबर, 1964 के विघटन विलेख के तहत भंग कर दी गई थी। निर्धारिती और दो अन्य भागीदार उक्त फर्म से सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें चौथे साझेदार से विघटन पर अपने-अपने शेयर प्राप्त हुए, जिन्होंने पूरी साझेदारी की जिम्मेदारी संभाल ली। निर्धारिती को परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर 1 अक्टूबर, 1964 को 30,000 रुपये का क्रेडिट दिया गया था जो की उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर भवन और भूमि आदि के पुनर्मूल्यांकन पर वृद्धि में हिस्सेदारी के रूप में दिए गए थे। यह राशि रु. 30,000 को आयकर अधिकारी द्वारा पूंजीगत लाभ के रूप में माना गया था। अपीलीय सहायक आयुक्त हालांकि बांके लाई वैद्य, अलीगढ़ बनाम आयकर आयुक्त, यूपी<sup>1</sup> के फैसले से सहमत थे, फिर भी उन्होंने आयकर अधिकारी के फैसले की पुष्टि की। इसके बाद निर्धारिती ने अपीलीय न्यायाधिकरण में दूसरी अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने जेम्स एंडरसन बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी<sup>2</sup> में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अपील को खारिज कर दिया।

(2) इस विवाद का संपूर्ण निर्णय अधिनियम की धारा 45 और 47 की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। संदर्भ की सुविधा के लिए इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—■

“45. पिछले वर्ष में प्रभावित पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या लाभ, धारा 53 और 54 में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के तहत आयकर के दायरे में आएगा और होगा पिछले वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें स्थानांतरण हुआ था।

“47. धारा 45 में निहित कुछ भी निम्नलिखित हस्तांतरणों पर लागू नहीं होगा: -

(i) हिंदू अविभाजित परिवार के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजीगत संपत्ति का कोई भी वितरण;

<sup>1</sup> (1965) 55 I.T.R. 400

<sup>2</sup> (1960) 39 I.T.R. 123

(ii) पूंजी का कोई भी वितरण किसी फर्म, व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के अन्य संघ के विघटन पर संपत्ति;

(iii) किसी उपहार या वसीयत या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत पूंजीगत संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण;

(iv) किसी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी के लिए एक पूंजीगत परिसंपत्ति, यदि-

(ए) मूल कंपनी या उसके नामांकित व्यक्ति सहायक कंपनी की पूरी शेयर पूंजी रखते हैं, और

(बी) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है।"

किसी को यह अवश्य देखना होगा कि विघटन पर क्या होता है और उस उद्देश्य के लिए हम विघटन के विलेख को विशेष रूप से इसके दो खंडों को देख सकते हैं जो निम्नलिखित शब्दों में हैं: -

" (1) मुद्रण, सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रसंस्करण, सूत, रंग, रसायन और मशीनरी आदि के व्यवसाय में पार्टियों के बीच साझेदारी जो की कोहिनूर टेक्सटाइल के फर्म नाम और शैली में मुद्रण कार्य और इसमें दर्ज नियमों और शर्तों पर उनके द्वारा यहां ऊपर वर्णित साझेदारी दिनांक 18वां दिन जनवरी, 1957 को की गई थी, 1 अक्टूबर, 1964 से आपसी सहमति से समाप्त होने की घोषणा की जाती है, और जहां तक सेवानिवृत्त साझेदारों का संबंध है, उक्त व्यवसाय उस दिन से माना जाएगा जिस दिन चौथे भाग की पार्टी द्वारा कब्जा कर लिया गया है और आगे बढ़ाया गया है।

(2) चौथे भाग की पार्टी ने सेवानिवृत्त साझेदारों को उनके संबंधित शेयरों में आने वाली राशि का भुगतान, उक्त साझेदारी व्यवसाय में उनका ब्याज, और पूंजी, उसके प्रभाव और गुडविल का भी भुगतान कर दिया है और वे पहले की पार्टी, दूसरे भाग की पार्टी और तीसरे भाग की पार्टी ने उक्त रकम को पूर्ण निर्वहन और उनके संबंधित अधिकारों की संतुष्टि में स्वीकार कर लिया है।

साझेदारी के विघटन में यह एक प्रसिद्ध प्रक्रिया है कि एक भागीदार फर्म की संपत्ति लेता है और दूसरे को कुल परिसंपत्ति के मूल्य का भुगतान करता है जो निवर्तमान भागीदारों के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। साझेदारी की परिसंपत्तियों को विभाजित करना कभी-कभी बहुत अव्यवहारिक होता है। एक कल्पित मामले को लेते हुए, साझेदारी की संपत्ति एक मोटर-कार है। हमें अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला है जिससे मोटर-कार को विभाजित किया जा सके। जिस क्षण यह टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, यह मोटर-कार नहीं रह जाएगी। इस प्रकार के उदाहरण बहुगुणित किये जा सकते हैं। इसलिए, जब कोई फर्म विघटित होती है तो किसी को विभाजन की सामान्य विधि का उल्लेख करना पड़ता है। इस मामले में साझेदारी की परिसंपत्तियों का वितरण कोई असामान्य तरीका नहीं है जिसे अपनाया गया है। यह मामला पूर्णतः एकीकृत नहीं है। वास्तव में जिस प्रश्न से हम चिंतित हैं, उसका निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बांके लाल वैद्य, अलीगढ़ बनाम आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1) के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष हुआ। संक्षेप में उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि पूंजीगत लाभ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि धारा 47 (2) ने ऐसे लाभ को धारा 45 के दायरे से बाहर रखा है। वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में साझेदारों द्वारा फर्म की परिसंपत्तियों की उस साझेदार को कोई बिक्री नहीं होती है जो साझेदारी व्यवसाय जारी रखता है। यह साझेदारी की परिसंपत्तियों को विभाजित करने का एक सुविधाजनक तरीका मात्र है। जेम्स एंडरसन बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे, शहर (2) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विद्वान न्यायाधीशों

द्वारा विचार किया गया। उनकी टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा क्योंकि हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं: -

"अब, इस मामले में क्या हुआ कि फर्म की संपत्ति पूरी तरह से देवी शरण गर्ग द्वारा ले ली गई थी जो निर्धारिती को संपत्ति में आधे हिस्से के संबंध में 1,25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। निर्धारिती को परिसंपत्तियों में वस्तु के रूप में कोई हिस्सा नहीं मिला, बल्कि उस शेयर के मूल्य को दर्शाने वाली राशि प्राप्त हुई। निर्धारिती के लिए यह तर्क दिया गया है कि वह धारा 12बी (1) के तीसरे प्रावधान के लाभ का हकदार था क्योंकि निर्धारिती को जो प्राप्त हुआ वह पूंजी, फर्म के विघटन पर संपत्ति का वितरण था और इस प्रावधान के कारण इस वितरण को पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, और ऐसा होने पर, मामला धारा 12 बी के अंतर्गत नहीं आता है। आयुक्त के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि निर्धारिती को फर्म की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला, बल्कि उस हिस्से के बदले में उसे धन मूल्य प्राप्त हुआ। यह तर्क दिया गया है कि, प्रावधान लागू होने के लिए, निर्धारिती को विशेष रूप से संपत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त होना चाहिए, और यह प्रावधान तब लागू हो सकता है जब फर्म की संपत्ति का वितरण प्रजाति में किया जाता है। जेम्स एंडरसन बनाम आयकर आयुक्त (2) के फैसले का संदर्भ दिया गया है, यह एक ऐसा मामला था, जहां हेनरी गैनन की मृत्यु पर, करदाता को उसकी संपत्ति के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशासन के दौरान, निर्धारिती ने वारिसों के बीच संपत्ति वितरित करने के उद्देश्य से मृतक के कुछ शेयर और प्रतिभूतियां बेच दीं। आयकर अधिकारी ने शेयर और प्रतिभूतियों की लागत मूल्य से अधिक बिक्री मूल्य को धारा 12बी के तहत पूंजीगत लाभ के रूप में माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निर्धारिती पर बिक्री से प्राप्त आय पर कर लगाया जा रहा था, न कि पूंजीगत संपत्तियों के किसी भी वितरण पर, और यह दिखाया जाना चाहिए कि आवेदन से बचने के लिए पूंजीगत संपत्तियों को धारा 12बी(1) के तहत विशेष रूप से वितरित किया गया था। उस मामले के तथ्य हमारे सामने मौजूद तथ्य से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

तत्काल मामले में निर्धारिती को जो प्राप्त हुआ वह फर्म की संपत्ति में उसके हिस्से के पैसे का मूल्य था। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां किसी परिसंपत्ति को विशिष्ट रूप से वितरित करना न तो संभव है और न ही सुविधाजनक। फर्म की सद्भावना को साझेदारों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता। सद्भावना के अलावा, ऐसा मामला हो सकता है जहां फर्म के पास अमूर्त संपत्ति हो, उदाहरण के लिए, कुछ प्रकाशनों के संबंध में कॉपी राइट। जहां एक फर्म के पास मशीनरी या मोटर वाहन या संपत्ति का कोई एकल टुकड़ा है, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह कहना आसान नहीं है कि, वह संपत्ति भागीदारों में आपस में विभाजित होने में सक्षम है। इन सभी मामलों में यह कल्पना करना संभव नहीं है कि कानून संपत्ति के भौतिक विभाजन द्वारा संपत्ति के वितरण पर विचार करता है। किसी फर्म के विघटन पर उसकी संपत्तियों के वितरण के मामले में, यह परिसंपत्तियों को वितरित करने का एक मान्यता प्राप्त तरीका है जिसमें एक भागीदार को फर्म की संपत्ति दी जा सकती है जबकि दूसरे को उसका मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है। साझेदारी विलेख में परिसमापन की विधि प्रदान करने वाले खंड की अनुपस्थिति में या जहां निर्धारित विधि पर प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, और भागीदारों के बीच एक समझौता विफल हो रहा है, यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखा जा सकता है और बिक्री से प्राप्त आय को भागीदारों के बीच विभाजित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति

में, किसी भागीदार द्वारा धन की प्राप्ति फर्म की परिसंपत्तियों के वितरण की प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं है। सियर्स बनाम सियर्स<sup>3</sup> में, लॉर्ड केर्न्स, एल.सी. द्वारा देखा गया:

'माई लॉर्ड्स, यह बिल्कुल सच है, जैसा कि बार में कहा गया था, कि इस तरह की साझेदारी को समाप्त करने पर सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि अदालत संपत्ति की बिक्री का निर्देश देगी, और, यदि आवश्यक हो, तो एक चालू संस्था के रूप में संस्था की बिक्री, और चैंबर में न्यायाधीश के समक्ष इसे खरीदने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावों और शर्तों की स्वतंत्रता देना"

उन्होंने जो डिक्री प्रस्तावित की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका मानना था कि फर्म की संपत्ति को वितरित करने का एक उचित तरीका यदि व्यवसाय को एक चालू संस्था के रूप में बेचा गया था, तो वादी-साझेदार के शेयर का मूल्य निर्धारण करना होगा, वह मूल्य जो प्रतिवादी-साझेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, और यदि वह बाद वाला भुगतान में चूक करता है, तो संपत्तियां एक चालू संस्था के रूप में बेची जाएंगी और 'साझेदारी की संपत्तियों का सामान्य तरीके से विभाजन' प्रभावित होगा। यह कानून लिंडले की पार्टनरशिप, 12वें संस्करण पृष्ठ 453 पर भी कहा गया है:

'उन घटनाओं के लिए प्रावधान किया गया है जिन पर साझेदारी समाप्त हो जाती है, अगला बिंदु उस विधि को निर्दिष्ट करना है जिसके द्वारा इसके मामलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त किया जाना है।

जहां लेखों में समापन की कोई विधि निर्धारित नहीं की गई है, या जहां निर्धारित विधि को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, तो, जब तक कि भागीदार इस बारे में किसी समझौते पर नहीं आ जाते कि क्या किया जाना है, तो, एक सामान्य नियम के रूप में, ऐसा होना ही चाहिए की समस्त साझेदारी संपत्ति का धन में रूपांतरण हो; और यह पैसा, साझेदारी के ऋणों के भुगतान के बाद, उन शेयरों में भागीदारों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें वे इसके हकदार हो सकते हैं।

निष्पक्ष विभाजन के लिए समझौता।

एक समझौता की साझेदारी के विघटन पर, संपत्ति को अपने ऋणों के भुगतान के बाद उचित और समान रूप से विभाजित किया जाएगा, इसका मतलब यह माना गया है कि संपत्ति बेच दी जाएगी, और बिक्री से उत्पन्न धन ऋणों का भुगतान करने के बाद विभाजित किया जाएगा। यहां तक कि यदि समझौता साझेदारी की संपत्ति को प्रजातियों में विभाजित करने के लिए होगा, तो अदालत बिक्री का आदेश दे सकती है यदि वह पार्टियों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद प्रतीत होता है।'

(3) इसलिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब इस बात पर सहमति हुई कि निर्धारिती को फर्म की परिसंपत्तियों में अपने हिस्से का मूल्य धन के रूप में प्राप्त होगा, तो इस समझौते के परिणामस्वरूप उसे जो प्राप्त हुआ वह केवल फर्म की परिसंपत्तियों में एक वितरित हिस्सा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, नागपुर और भंडारा बनाम देवास सिने कॉर्पोरेशन<sup>4</sup> मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और अधिक समर्थन प्राप्त किया। उनका आधिपत्य था -

<sup>3</sup> 1876 App. Cas. 174

<sup>4</sup> (1968) 68 I.T.R. 240

"साझेदारी के विघटन पर प्रत्येक थिएटर को मूल मालिक को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ऋण और अन्य दायित्वों के निर्वहन के बाद उसके संपत्ति में शेष हिस्से में हिस्सेदारी के दावे की संतुष्टि के साथ वापस करना होगा। लेकिन इस तरह थिएटरों को साझेदारी द्वारा अलग-अलग साझेदारों को शेष राशि में उनके संबंधित शेयरों के विचार में नहीं बेचा गया था, और, इसलिए, 44,380 रुपये की राशि को धारा 10 (2) (vii) के दूसरे प्रावधान के तहत साझेदारी की कुल आय में शामिल नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय सही है कानून निर्धारित करता है और विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ हम उसका पालन करते हैं।

(4) विभाग के विद्वान वकील श्री अवस्थी, जेम्स एंडरसन बनाम आयकर आयुक्त, बंबई शहर (2) (सुप्रा), में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बहस करते हैं। आयकर आयुक्त बंबई उत्तर बनाम वाल्जी दामजी<sup>5</sup> में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय और मद्रास उच्च न्यायालय के दो निर्णय स्त्री कन्नन राइस मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास<sup>6</sup>, और गोड़ओरी टाइल वर्क्स बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास<sup>7</sup> में, यह निर्धारित किया गया कि जब किसी एक भागीदार द्वारा एक साझेदारी की संपत्ति ली जाती है, यह उन संपत्तियों की बिक्री है। हमारी राय में, इनमें से कोई भी मामला मददगार नहीं है। इन सभी मामलों में साझेदारी की संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेच दी गई और फिर बिक्री से प्राप्त आय को भागीदारों द्वारा विभाजित कर दिया गया। इसलिए, बिक्री से प्राप्त आय में अतिरिक्त अभिवृद्धि पूंजीगत लाभ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जहां मामला उचित और स्पष्ट रूप से धारा 45 और धारा 47(ii) के अपवाद के अंतर्गत आता है। विद्वान वकील द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं और मामले को विवाद में नहीं डालते हैं।

(5) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में देते हैं, अर्थात्, निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध। निर्धारिती अपनी लागतों का हकदार होगा जिसका मूल्यांकन 200 रुपये के रूप में किया गया है।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

---

<sup>5</sup> (1955) 28 I.T.R. 914

<sup>6</sup> (1954) 26 I.T.R. 351

<sup>7</sup> (1957) 31 I.T.R. 250

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा